कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज

पत्रांक : 414 / P.I.L / 04 दिनांकः 12/03/2024

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली,

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत आवेदन संख्या–310/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2024 के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, प्रयागराज की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत आवेदन संख्या–310/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी, प्रयागराज की ओर से रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही एवं सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–यथोक्त।

(नवनीत सिंह चहल)
जिलाधिकारी, प्रयागराज

पृ०सं० एवं दिनांक–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कुम्भ मेलाधिकारी, मेला प्राधिकरण, प्रयागराज।
2. मण्डलायुक्त, प्रयागराज को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. श्री अंकित वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

(नवनीत सिंह चहल)
जिलाधिकारी, प्रयागराज

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत आवेदन संख्या–310/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2024 के सम्बन्ध में गठित समिति की तरफ से जिलाधिकारी प्रयागराज की ओर से आख्या

उपरोक्त योजित ओ0ए0 नं0– 310/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2024 के सम्बन्ध में बिन्दु यथा –

" ...6. In order to ascertain the correct position, we need to have the report relating to total generation of sewage, existing installed STPs and their current level of utilization and functioning/performance of STPs from which treated water is discharged in River Ganga and Yamuna at Paryagraj. Hence, we form a committee comprising: -

I. Representative of Member Secretary, CPCB
II. RO MOEF&CC, Lucknow
III. District Magistrate, Paryagraj,
IV. RO, UPPCB, Paryagraj,
V. Chief Engineer, UP Jal Nigam

7. Committee is directed to carry out inspection of all the drains joining River Ganga and Yamuna and all the STPs from which discharge is being made to River Ganga and Yamuna in District Paryagraj. The said committee will carry out spot inspection, collect the samples of 3 discharged treated water with sample analysis done and also collect the information in respect of functioning of the STPs and submit the report before the Tribunal at least one week before the next date of hearing by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. District Magistrate, Paryagraj will be act as nodal agency. Committee will also ascertain the position in respect of total per day generation of sewage in Paryagraj and treatment capacity of STPs and existing gap and action taken to eliminate that gap..." पर नोडल अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी की आख्या निम्नानुसार हैः–

1. उक्त आदेश के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 252/P.I.L/01 दिनांक 23.02.2024 द्वारा समिति के अन्य सदस्यों के साथ विचार विमर्श/निरीक्षण/नमूना एकत्रित करने हेतु दिनांक 28.02.2024 को स्वयं के कार्यालय में बैठक हेतु अनुरोध किया गया था, जो कि अपरिहार्य कारणवश दिनांक 29.02.2024 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आयोजित हुई।
2. बैठक उपरान्त दिनांक 29.02.2024 एवं 01.03.2024 को प्रयागराज नगर में स्थित 09 नग एसटीपी एवं 10 नग नालों का निरीक्षण किया गया।
3. संयुक्त निरीक्षणोपरान्त सर्व सहमति से यह मत स्थिर हुआ कि प्रयागराज नगर के कुल उत्सर्जित श्राव की गणना करने, समस्त नालों एवं अधिष्ठापित एसटीपी का निरीक्षण करते हुए एसटीपी की क्षमता/उपयोगिता/क्रियाशीलता के सम्बन्ध में आख्या एवं निरीक्षण के दौरान नालो/एसटीपी से सैम्पल एकत्रित करने एवं तदानुसार जाँच कराकर आख्या तैयार करने में लगभग 03 माह का समय लगना अवश्यम्भावी है।
4. अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 347/P.I.L/03 दिनांक 05.03.2024 के द्वारा बैठक में हुई चर्चा के क्रम में सम्बन्धित विभागों से विस्तृत सूचना मांगी गई है, जो कि अपेक्षित है।

उक्त के क्रम में अनुरोध करना है कि दिनांक 07.02.2024 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु समिति को कम से कम 03 माह का समय प्रदान करने की कृपा करें।

(नवनीत सिंह चहल)
जिलाधिकारी, प्रयागराज